न्यायालय: अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर, जिला पाली।

पीठासीन अधिकारी: मोक्षदा नांदड़, (आर.जे.एस.)

फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या (सी.आई.एस.नं.): 78/2024

सीएनआर नंबर -RJPL150001542024

निर्णय दिनांक :15-07-2026

सीआईएस नंबर : 78/2024

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 160/2023

अन्तर्गत धारा : 279, 337 व 338 भारतीय दंड संहिता।

अभियोगी :

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी।

बनाम

अभियुक्त - जीवाराम

परिवादी	मांगीलाल
परिवादी अधिवक्ता	विक्रम सिंह
प्रस्तुतकर्ता	मांगीलाल
अभियुक्त का नाम व पता	जीवाराम पुत्र रताराम, निवासी बिठुडा पिरान पुलिस थाना तख्तगढ़, हाल खिमाड़ा जिला पाली।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री कुलदीप सिंह सिसोदिया

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अपराध की तिथि	01-12-2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	02-12-2023
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	05-01-2024
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	27-06-2026
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	27-06-2024
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	15-07-2026
निर्णय की तिथि	15-07-2026
दण्ड दिये जाने की तिथि(यदि हो तो)	.....

::अभियुक्तगण का विवरण::

अभियुक्त गण की क्रम संख्या	अभियुक्तगण का नाम	गिरफतारी की दिनांक	न्यायालय से जमानत पर छोडे जाने की तिथि	अभियुक्त गण के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दंड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा -428 द.प.स के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
01.	जीवाराम	-	15-03-2024	धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता	धारा 337 व 338 भा.दं.सं. में बजरिए राजीनामा दोषमुक्त व धारा 279 भा.दं.सं. में दोषमुक्त	-	-

::अभियोजन/बचाव/ न्यायालय गवाह सूची::

क. अभियोजन गवाहान

क्रम सं.	अभियोजन साक्षी का क्रम	बयान दिनांक	गवाह का नाम	पुनः बयान दिनांक	साक्ष्य की प्रकृति
1.	पीडब्ल्यू 1	03-09-2025	डॉ. नितेश शर्मा		चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट व एक्सरे राय देना
2.	पीडब्ल्यू 2	14-05-2026	मांगीलाल		परिवादी
3.	पीडब्ल्यू 3	14-05-2026	सुमटी		गवाह
4.	पीडब्ल्यू 4	14-05-2026	चंदा		गवाह
5.	पीडब्ल्यू 5	14-05-2026	थानाराम		मौतबिर घटनास्थल निरीक्षण व जब्त दुर्घटना कारित वाहन मोटर साइकिल
6.	पीडब्ल्यू 6	14-05-2026	प्रतापराम		मौतबिर घटनास्थल निरीक्षण व जब्त दुर्घटना कारित वाहन मोटर साइकिल
7.	पीडब्ल्यू 7	14-05-2026	मदनलाल		गवाह
8.	पीडब्ल्यू 8	14-05-2026	कुयाराम		गवाह

ख. बचाव गवाह

साक्षी का क्रम	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

::अभियोजन/बचाव/ न्यायालय प्रदर्श सूची::

क. अभियोजन

क्रम सं.	प्रदर्श मार्क	दस्तावेजो की प्रकृति
1.	प्रदर्श पी 01	**गवाह सुमटी का चोट प्रतिवेदन**
2.	प्रदर्श पी 2	**परिवादी मांगीलाल का चोट प्रतिवेदन**
3.	प्रदर्श पी 03	**गवाह चंदा का चोट प्रतिवेदन**
4.	प्रदर्श पी 04	**गवाह सुमटी की एक्सरे रिपोर्ट**
5.	प्रदर्श पी 05	**गवाह मांगीलाल की एक्सरे रिपोर्ट**
6.	प्रदर्श पी 06	**गवाह सुमटी का एक्सरे प्लेट का कवर नोट**
7.	प्रदर्श पी 06	**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
8.	प्रदर्श पी 07	**फर्द नक्शा-मौका**
9.	प्रदर्श पी 08	**परिवादी मांगीलाल के पुलिस बयान**
10.	प्रदर्श पी 09	**सुमटी का एक्सरे प्लेट**
11.	प्रदर्श पी 09	**फर्द जब्ती मोटरसाइकिल आरजे 22 एसक्यू 1613**
12.	प्रदर्श पी 10	**परिवादी मांगीलाल की एक्सरे प्लेट का कवर नोट**
13.	प्रदर्श पी 10	**गवाह सुमटी के पुलिस बयान**
14.	प्रदर्श पी 11	**परिवादी मांगीलाल की एक्सरे प्लेट**
15.	प्रदर्श पी 11	**गवाह चंदा के पुलिस बयान**
16.	प्रदर्श पी 12	**गवाह मदनलाल के पुलिस बयान**
17.	प्रदर्श पी 13	**गवाह कुयाराम के पुलिस बयान**

ख. बचाव

क्रम सं.	प्रदर्श मार्क	दस्तावेजो की प्रकृति
-	-	-

ग - भौतिक वस्तुएं

क्रम सं.	प्रदर्श मार्क	दस्तावेजो की प्रकृति

-<u>निर्णय-</u> **दिनांक - 15.07.2026**

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव प्रार्थी मांगीलाल द्वारा दिनांक 02-12-2023 को पुलिस थाना सांडेराव में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 01-12-2023 को शाम के करीब 6.30-7.00 सांडेराव से अपनी मोटर साइकिल नंबर आरजे 22 एसक्यु 1613 पर अपनी पत्नी चंदा के साथ आ रहा था कि सामने से एक हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल का चालक अपनी मोटर साइकिल को तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और सही साइड में चलती हुई प्रार्थी की मोटरसाइकिल के रांग साइड में आकर टक्कर मारी, जिससे प्रार्थी व उसकी पत्नी मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए, जिससे प्रार्थी के दाहिने हाथ की कलाई व अंगुलियों पर चोट लगी और प्रार्थी की पत्नी के पेट में लगी। हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल के चालक को पूछने पर अपना नाम जीवाराम पुत्र रताराम निवासी बिठुड़ा पिरान तहसील सुमेरपुर, जिला पाली बताया। दुर्घटना होने से प्रार्थी, प्रार्थी की पत्नी के चोटें लगी हैं। प्रार्थी की पत्नी गर्भवती है, जिससे के पेट में चोट लगी है। फिर प्रार्थी व उसकी पत्नी अस्पताल गए....इत्यादि कथन करते हुए उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना साण्डेराव में प्र.सू.रि.सं. 160/2023 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त जीवाराम के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279,337,338 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

02. प्रकरण में अभियुक्त जीवाराम के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279,337,338 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त जीवाराम को अपराध अन्तर्गत धारा 279,337,338 भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने उक्त आरोपों को सुन-समझकर आरोप से इंकार करते हुए अन्वीक्षा चाही।

यहां यह उल्लेखनीय है कि परिवादीगण एवं अभियुक्त जीवाराम द्वारा दिनांक 14-05-2026 को धारा 337 व 338 भारतीय दण्ड संहिता के तहत लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया गया। धारा 337 व 338 भा.दं.सं. में राजीनामा काबिल होने से उक्त धारा में राजीनामा तस्दीक किया जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 337 व 338 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध शेष अपराध अंतर्गत धारा

279 भारतीय दण्ड संहिता में विचारण जारी रहा।

03. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

04. अभियुक्त जीवाराम के विरुद्ध किसी प्रकार की विश्वसनीय साक्ष्य नहीं होने से उसे धारा 313 दं.प्र. सं. के तहत परीक्षित नहीं किया गया। अभियुक्त ने साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा।

05. बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्कपूर्ण निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279 भारतीय दंड संहिता को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है, अतः अभियुक्त को धारा धारा 279 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध कर दण्डित किया जावे। उक्त तर्को का विरोध करते हुए अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त को उक्त प्रकरण में पूर्ण रूप से झूंठा फंसाया गया है। वक्त घटना अभियुक्त दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को नहीं चला रहा था। हस्तगत प्रकरण में परीक्षित हुए गवाहान घटना की ताईद नहीं करते है। अंत में अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 01-12-2023 को समय शाम को करीब 6.30-7.00 बजे सरहद सांडेराव में अपने वाहन हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल जिसके नंबर आरजे 22 डब्ल्यू.एस. 3487 को तेजगति, उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापित किया ?

2. यदि हाँ, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा?.

07. उक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य निम्न प्रकार से है -

08. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा परीक्षित साक्षियों की साक्ष्य एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279 भारतीय दंड संहिता का आरोप है। आरोप अंतर्गत धारा 279 भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सबसे पहले अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि दुर्घटना के समय अभियुक्त वाहन का चालक था, तत्पश्चात् यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या वह वाहन को लापरवाही व उतावलेपन से चला रहा था,पत्रावली पर आई सम्पूर्ण साक्ष्य सामग्री का अवलोकन, विवेचन व विश्लेषण किया जाए तो यह दर्शित है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 08 गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाए गए हैं, जिसमें से प्रकरण के परिवादी व आहत मांगीलाल को बतौर पी.ड.02 न्यायालय के समक्ष परीक्षित किया गया है। उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में कथन किए कि करीब तीन साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसके व उसकी पत्नी के चोटें आई थी, दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई व किस वाहन से हुई, उसने पता नहीं। उक्त गवाह को प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने अभियोजन जिरह गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया कि दुर्घटना जीवाराम की लापरवाही से हुई हो। यह कहना सही है कि उनका आपस में राजीनामा हो गया है। उक्त गवाह ने दुर्घटना कौनसे वाहन एवं किसकी लापरवाही से दुर्घटना हुई, इस संबंध में लेशमात्र भी कथन नहीं किए हैं तथा जीवाराम की लापरवाही होने के तथ्यों से स्पष्ट इंकार किया है। उक्त गवाह की साक्ष्य अभियुक्त की बतौर चालक पहचान स्थापित करने में विफल रही है। उक्त गवाह की साक्ष्य से चालक की पहचान के संबंध में अभियोजन को समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

09. प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण गवाहान पी.ड. 03 सुमटी, पी.ड. 04 चंदा, पी.ड. 07 मदनलाल व पी.ड. 08 कुयाराम जो कि प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी है तथा सुमटी व चंदा प्रकरण की आहत भी है, ने भी अपनी साक्ष्य में कथन किए कि करीब तीन साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, परंतु दुर्घटना किसकी लापरवाही व किस वाहन से हुई, उन्हें पता नहीं। उक्त समस्त गवाहान को भी प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने अभियोजन जिरह उक्त गवाहान में से पी.ड. 03 सुमटी, पी.ड. 04 चंदा ने एक स्वर में स्पष्ट रूप से कथन किए कि जीवाराम की लापरवाही से उक्त दुर्घटना नहीं हुई है तथा उनका आपस में राजीनामा हो गया है। गवाह पी.ड. 07 मदनलाल एवं पी.ड. 08 कुयाराम ने अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी 12 एवं प्रदर्श पी 13 पुलिस को नहीं दिए जाने के कथन किए। उक्त समस्त गवाहान की

साक्ष्य में दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई व कौनसे वाहन से हुई, इस संबंध में लेश्मात्र भी साक्ष्य न्यायालय को प्राप्त नहीं होती है। उक्त समस्त गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त की बतौर प्रश्नगत वाहन चालक पहचान स्थापित नहीं होती। उक्त समस्त गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन कहानी को किसी प्रकार से बल नहीं मिलता।

10. प्रकरण में चूंकि उपरोक्त महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य अभियुक्त की बतौर चालक पहचान स्थापित करने में विफल रही है। ऐसे में प्रकरण में परीक्षित गवाह पी.ड. 01 डॉ नितेश शर्मा, पी.ड. 05 थानाराम, पी.ड. 06 प्रतापराम की साक्ष्य मात्र औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य रह जाती है, जो भी चालक की पहचान स्थापित करने के संबंध में अभियोजन कहानी का किसी प्रकार से समर्थन नहीं करती है।

11. प्रकरण में यद्यपि अनुसंधान अधिकारी को परीक्षित नहीं किया गया है परंतु अनुसंधान अधिकरी के परीक्षित नहीं होने से भी प्रकरण के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुसंधान अधिकारी ने जिन गवाहान की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित माना, उक्त समस्त गवाहान की साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में विफल रही है।

12. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य सामग्री के विवेचन व विश्लेषण करने से एवं उपर्युक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियोजन कहानी को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में जहां अभियुक्त को बतौर प्रश्नगत वाहन चालक बरवक्त दुर्घटना पहचान स्थापित करने में अभियोजन असफल रहा है तो प्रश्नगत वाहन का दुर्घटना के समय लापरवाही, तेजगति एवं उतावलेपन से चलाये जाने का तथ्य को देखे जाने पर भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

13. दांडिक विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह तथ्य तो युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 01-12-2023 को समय शाम को करीब 6.30-7.00 बजे सरहद सांडेराव में अपने वाहन हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल जिसके नंबर आरजे 22 डब्ल्यू.एस. 3487 को तेजगति,

उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापित किया।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त जीवाराम को अपराध अन्तर्गत धारा 279 भारतीय दंड संहिता के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-- आदेश --

14. अतः अभियुक्त जीवाराम पुत्र रताराम, निवासी बिठुडा पिरान पुलिस थाना तख्तगढ़, हाल खिमाड़ा, जिला पाली को अपराध अन्तर्गत धारा 279 भारतीय दंड संहिता के तहत संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(मोक्षदा नांदड़)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सुमेरपुर, जिला पाली।

15. अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत जमानत-मुचलके निर्णय की दिनांक से 06 माह के लिए प्रभावी रहेंगे।

16. अभियुक्त के पत्रावली पर उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में जब्त वाहन जमानतनामा/सुपुर्दगीनामा पर दिये गये है, जो बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझे जाए।

17. निर्णय आज दिनांक 15.07.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(मोक्षदा नांदड़)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सुमेरपुर, जिला पाली।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.24 16:26:49 IST